

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या:- 49/2022
दायर दिनांक:- 20.05.2022
निर्णय दिनांक:- 07.06.2022

उनवान

1. श्री बाबु लाल पुत्र छगन लाल तेली निवासी भूपानगर।
2. श्रीमती डाली पुत्री छगन लाल तेली निवासी भूपालनगर।
3. श्रीमती बगदी पुत्री छगन लाल तेली निवासी भूपालनगर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहन लाल पिता भुसा गाडरी निवासी भूपानगर।
2. श्री नाथु लाल पिता माधु लाल लौहार निवासी भूपालनगर।
3. श्री पपु पिता गंगाराम तेली निवासी भूपालनगर।
4. श्री कालु पिता नाथु जाट निवासी भूपालनगर।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
: निर्णय :**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। बार-बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा भूपालनगर पटवार हल्का भूपालनगर तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 1064 रकबा 0.16 है, आ०सं० 122 रकबा 0.08 है, आ०सं० 123 रकबा 0.60 है, आ०सं० 57 रकबा 0.19 है आ०सं० 58 रकबा 0.20 है, आ०सं० 59 रकबा 0.18 है, आ०सं० 88 रकबा 0.15 है आ०सं० 987 रकबा 0.16 है, आ०सं० 991 रकबा 0.10 है, आ०सं० 995 रकबा 0.23 है, कुल कित्ता 10 कुल रकबा 2.05 है भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(भावना सिंह)

सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर